ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-4* Issue-10* January- 2020
Anthology : The Research

कृषि एवं जिला सिंचाई कार्यक्रम (दतिया जिला के विशेष संदर्भ में)

शबाना बानो
रेलवे स्टेशन रोड
धर्मशाला के पीछे
दतिया, (म.प्र.), भारत

एम.एस. सिसौदिया
विभागाध्यक्ष भूगोल,
शासकीय (स्वशासी) स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
दतिया, (म.प्र.), भारत

सारांश

कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए कृषिगत कार्यक्रम अहम भूमिका निभाते हैं। इनके द्वारा कृषकों को सरकारी योजनाओं की न सिर्फ जानकारी मिलती है बल्कि अपनी कृषि में नई तकनीक अपनाने का अवसर भी प्राप्त होता है। सरकार प्रत्येक स्तर पर प्रत्येक क्षेत्र में कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चला रही है ताकि कृषि उत्पादकता व कृषकों के लाभ को अधिक बढ़ाया जा सके। फसल बीमा योजना द्वारा कृषि को संरक्षण दिया जा रहा है तथा साथ ही जिला सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत बलराम ताल योजना, लघु सिंचाई योजना द्वारा कृषि को सिंचाई सुविधा प्रदान की जा रही है। विकास कार्यक्रमों ने अध्ययन क्षेत्र की कृषि को लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज कृषक समझबूझ कर ही इष्टलाभ अर्जित करने के लिए एक फसल को त्याग कर दूसरी फसल को अपनाने लगा है। नवीन फसल स्वरूप के द्वारा अर्जित उच्चतर लाभ के कारण किसानों के भौतिक व तकनीकी आधार में बदलाव आया है और यह बदलाव निरंतर जारी है।

प्रस्तावना

कृषि एवं किसानों के हितों की सुरक्षा हेतु 1972 से देश में मूल्य नीति (Price Policy) लागू की गई। इसके अंतर्गत लाइसेंस मुक्त खरीददारों को नियुक्त किया गया, जो कृषि मूल्य के अनुसार किसानों से उचित मूल्य पर उनके उत्पाद खरीदें। यहाँ की कृषि श्रम एवं हरित खादों पर आधारित थी परन्तु कृषि में उत्पादकता बढ़ाने हेतु फार्म निवेश नीति (Farm Input Policy) घोषित की गई, ताकि किसानों को फार्म पर निवेश की पूरी जानकारी एवं तकनीकी उपलब्ध कराकर अधिकतम उत्पादकता प्राप्त की जा सके और इसी के तहत नियोजित आर्थिक कार्यक्रम शुरू किए गए। इसके साथ ही बीज, उर्वरक तथा कीटनाशकों के उपयोग पर ध्यान आकर्षित किया गया। तीसरी राष्ट्रीय योजना में गतिमान तीव्र खाद्य उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें हरित क्रांति हेतु खाद, बीज, कीटनाशक, क्रेडिट तथा खेत प्रबंधन पर भी ध्यान दिया गया।

अध्ययन क्षेत्र में पूर्व में अधिकतर बड़े जमीदारों के अधिकार में भूमि अधिक थी, और वे मजदूरों द्वारा खेती करवाते थे, अभी भी ये प्रथा पूर्णरूप से समाप्त नहीं हुई है अधिकतर कृषक बहुत पिछड़े हैं जिनके पास स्वयं की जमीन नहीं है और वे प्रायः अधबटिया पर खेती अर्थात् कृषि कार्य मजदूरी के आधार पर करते हैं। अध्ययन क्षेत्र में व्यक्तिगत सर्वेक्षण करने पर स्पष्ट हुआ है कि कृषि कार्य में संलग्न कृषकों की अपेक्षा मजदूरों की संख्या अधिक है। अध्ययन क्षेत्र में कृषि का बहुमुखी विकास किया जा रहा है साथ ही विकास संबंधी योजनाएँ लागू कर कृषि पद्धति अधिक वैज्ञानिक तरीके से विकसित करने की कोशिश जारी है क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में कृषि में विकास के मापदण्ड समय के साथ बदलते रहते हैं, कभी–कभी एक क्षेत्र का विकास अधिक हो जाता है तो दूसरा क्षेत्र पिछड़ जाता है इस प्रकार क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। प्रायः ऐसा तब होता है जब एक क्षेत्र के विकास पर अधिक ध्यान दिया जाता है तथा उस क्षेत्र में साधनों को अधिक जुटाया जाता है। अध्ययन क्षेत्र में यह स्थिति देखने को मिलती है। अध्ययन क्षेत्र के विकासखण्डों में किसी विकासखण्ड का अधिकतम क्षेत्र विकसित हो गया है तथा किसी क्षेत्र में विकास पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया गया।

अध्ययन क्षेत्र

दतिया जिला मध्यरेलवे की मुम्बई दिल्ली रेलवे लाइन पर बुन्देलखण्ड में स्थित हैं यह क्षेत्र अधिकांशतः ऐसी अवस्था के अंतर्गत आता है जहाँ कि

कृषि न सिर्फ पिछड़ी है बल्कि यहाँ निरंतर कृषि में नए–नए प्रयोग करने की आवश्यकता है। यह एक ऐसा अभावग्रस्त क्षेत्र है, जहाँ संभावनाएं तो हैं, परन्तु
कृषक उनका पूर्णरूपेण लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। यदि हम अध्ययन क्षेत्र में नियोजन की भी बात करें तो नियोजन को बिना उद्देश्य के पूर्ण नहीं किया जा सकता। व्यवहारिक रूप से किसी क्षेत्र की कृषि प्रत्यक्ष रूप से संबंधित क्षेत्र की आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है।

उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य दतिया जिला में सरकार द्वारा कृषि को लाभ पहुँचाने हेतु चलाए जा रहे कृषिगत कार्यक्रम एवं जिला सिंचाई कार्यक्रम का वर्णन करना है। वस्तुतः अध्ययन क्षेत्र एक पिछड़ा क्षेत्र है परन्तु यहाँ की कृषि में संभावनाएं बहुत व्याप्त हैं। सरकारी नीतियाँ व सरकारी सहायता से लाभ उठाकर कृषकों ने अपनी कृषि में निरंतर नए प्रयोग किए है और आगे भी कर रहे हैं तथा लाभ उठा रहे हैं। जिला को मिलने वाली उन सभी योजनाओं और कार्यक्रम का वर्णन प्रस्तुत शोध पत्र में किया गया है जिनसे लाभ उठाकर क्षेत्र का पिछड़ापन धीरे–धीरे दूर होता जा रहा है।

कृषिगत कार्यक्रम

खेतों के छोटे आकार और उनके प्रति इकाई उत्पादकता के कम होने से इनकी कृषि निम्न लाभ ही दे पाती है। खेती को लाभकारी बनाने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जैसे –उन्नत बीज, उर्वरक, सिंचाई सुविधाएं, कृषि उपकरण आदि। कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए कृषिगत कार्यक्रम अहम भूमिका निभाते है। इनके मध्यम से कृषकों को सरकारी योजनाओं की जानकारी मिलती है साथ ही कृषि में नई तकनीकी अपनाने का अवसर प्राप्त होता है। कृषिगत कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर निम्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

फसल बीमा

इसकी शुरूआत 1985 में भारत सरकार ने की। वर्ष 1999–2000 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NATS) के अंतर्गत इसे रबी फसलों पर लागू किया गया। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्न है –

1. प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में फसल के नुकसान को बीमा प्रदान करना।
2. किसानों को पुनः कृषि कार्य करने के लिए विभिन्न माध्यमों/संस्थाओं से ऋणों की सुविधा प्रदान करना।
3. कृषिगत कार्यक्रमों को अधिक प्रोत्साहित करना।

इस योजना के अंतर्गत सभी प्रकार के ऋणी व गैर–ऋणी किसान अपनी उत्पत्ति का बीमा करा सकते हैं। इस बीमा योजना को सरकारी बीमा कंपनी, भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड (AICIL) द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

पायलट योजना

ये योजना जिला नवीन राष्ट्रीय कृषि बीमा की योजना है। इसमें जिला सहकारी बैंक के ऋणी किसानों को मुआवजा मिलता है। समय–समय पर होने वाली आकस्मिक प्राकृतिक प्रकोप जैसे–ओलावृष्टि, कीटब्याधि, आगजनी या फिर फसल चोरी होने की स्थिति में किसानों को सरकार की तरफ से मुआवजा देने का प्रावधान है। किसानों को इसका लाभ केन्द्र सरकार की नवीन राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत मिलेगा। इतना ही नहीं नवीन राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के पायलट प्रोजेक्ट में प्रदेश के दो जिलों को शामिल किया गया है जिसमें दतिया जिला भी शामिल है। सामान्यतः सहकारी संख्याओं से ऋण लेने वाले किसानों की फसल बर्वाद होने पर उनके सामने आजीविका का संकट आ जाता है तथा ऋण चुकाने के लिए भी उन्हें अन्य स्रोतों से कर्ज लेना पड़ता है, इस स्थिति में किसान को आगे की फसल के लिए आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। इस योजना के तीन पहलू हैं–

लाभ की परिस्थिति :– वर्षा कम अथवा मौसम प्रतिकूल होने पर सामान्य औसत उपज से 50 फीसदी उत्पादन यदि कम हो तथा प्राकृतिक आग, आसमानी बिजली से फसल नष्ट, ओलावृष्टि, सूखा, कीटब्याधि आदि होने पर किसानों को योजना का लाभ होगा।

आंकलन :– फसल में उपर्युक्त किसी भी प्रकार का नुकसान यदि होता है तो शासन द्वारा राजस्व अधिकारियों व स्थानीय प्रशासन के सहयोग से किसान की फसल के नुकसान का आंकलन कराया जाएगा तथा रिपोर्ट तैयार की जाएगी तथा इस रिपोर्ट को बीमा कंपनी के पास पहुँचाया जाएगा। इसके बाद शासन की रिपोर्ट व आंकलन के आधार पर किसान को योजना का लाभ मिलेगा।

लाभ

(1) बारिश की कमी अथवा प्रतिकूल मौसम होने पर शासन की रिपोर्ट व आंकलन के बाद क्षेत्र की औसत उपज का 25 फीसदी।
(2) सामान्य उपज से 50 फीसदी से कम उपज होने पर 25 फीसदी।
(3) कटाई के बाद 14 दिन के अंदर अगर आंधी, तूफान या बारिश से फसल नष्ट हो जाए तो 100 फीसदी।
(4) ओलावृष्टि पर 100 फीसदी, कीटब्याधि, आगजनी तथा चोरी की दिशा में 100 फीसदी मुआवजा।

योजना के अंतर्गत बैंक की संस्थाओं के ऋणी प्रत्येक कृषक की लगभग 3.05 हेक्टेयर जमीन का बीमा कराया गया, ताकि कृषक फसल नष्ट होने की स्थिति में परेशान न हो। जिला सहकारी बैंक द्वारा सहकारी संस्थाओं के ऋणी लगभग 12,638 किसानों की 23,362 हेक्टेयर जमीन के लिए पायलट योजना के तहत 5636757/–₹ की राशि बीमा किस्त के बीच में जमा की गयी है।

आधुनिक कृषि पद्धति

पारंपरिक कृषि पद्धति को छोड़कर अध्ययन क्षेत्र में आधुनिक खेती के जरिए फसल का अधिक उत्पादन लेने के दृष्टिकोण से किसानों को प्रेरित करने हेतु कृषि विभाग द्वारा यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। खरीफ फसल में हर ब्लॉक के तीन छोटे गाँवों में कृषि संसाधनों

के उचित प्रयोग कर कृषि विभाग द्वारा 20 प्रतिशत अधिक उत्पादन करने की क्षमता में लगातार ह्रास होता जा रहा है। किसानों को इस बात की जानकारी का अभाव होता है कि कौन सी फसल के उत्पादन में मिट्टी को किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। जिले का किसान अभी भी छिड़काव करके बोबनी करता है जिससे खरपतवार हटाने से लेकर खाद व सिंचाई के कार्य में भी परेशानी होती है। इन सब परेशानियों से किसानों को बचाने के लिए कृषि विभाग द्वारा 150 से 200 हेक्टेयर भूमि वाले ग्रामों में यह कार्यक्रम चलाये जायेंगे। इसके अन्तर्गत मिट्टी का परीक्षण कर उसके अनुसार फसल बोने के सुझाव कृषकों को दिए जाएगें तथा आधुनिक तकनीक पर खेती की जाएगी।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (NADP) राष्ट्रीय विकास योजना द्वारा केन्द्र संचालित, समन्वित तथा बहुउद्देशीय योजना है। इसमें कृषि तथा सम्बद्ध विभाग और संस्थान व निजी संस्थाओं का सहयोग भी है।

इस योजना का उद्देश्य भूमि की उर्वरता बढ़ाना, किसानों को समुचित मात्रा में उन्नत बीज उपलब्ध कराना, सिंचाई संसाधनों का विकास करके जल स्तर में वृद्धि करना तथा सिंचाई क्षेत्र का विकास करना है। अध्ययन क्षेत्र में भूमि संरक्षण, नलकूप, सामान्य वर्ग बीज अनुदान प्रदर्शन, बीजोपचार एवं सिंचाई पम्प गहरी जुताई पर अनुदान दिया गया। वर्ष 2009–10 में 77.63 लाख ₹ आवंटन प्राप्त हुआ, जिसमें से 3159 लाख रू. व्यय किए गए। योजना में 3889 कृषक लाभान्वित हुए। वर्ष 2010–11 में योजना में 170.63 लाख ₹ का आवंटन प्राप्त हुआ, जिसमें अभी तक 59.20 लाख ₹ का व्यय गहरी जुताई, लघुत्तम सिंचाई, तालाब, नलकूप खनन आदि पर कार्य कराया गया।

योजना का लाभ

1. भूमिगत जल संवर्धन और नमी संवर्धन के लिए 5 लाख ₹ तक लागत के परकोलेशन टेंक (च्मतबवसंजपवद जंदा) बनाए जाते हैं।

2. लघुत्तम तालाब :– शासकीय भूमि पर 25 लाख ₹ के सिंचाई तालाबों का निर्माण करना।

3. नलकूप खनन :– सामान्य वर्ग के लघु–सीमांत किसानों को नलकूप खनन करवाने पर 75ः या अधिकतम 15,000 ₹ का अनुदान देय।

4. सफल नलकूप पर पम्प स्थापना हेतु लघु–सीमांत कृषकों को 75ः या बड़े किसानों को 50ः अनुदान अधिकतम 9,000 ₹।

5. डीजल/विद्युत पम्प :– 50ः अधिकतम 10,000 ₹ अनुदान राशि देय।

6. प्रमाणित बीज उत्पादन (खरीफ) :– सोयाबीन, मक्का, मूँग, उड़द पर ₹1000 तथा धान पर ₹ 500 प्रति क्विंटल अनुदान देय।

7. प्रमाणित बीज उत्पादन कार्यक्र(रबी):– चना, मसूर, अलसी, सरसों पर ₹ 1000 तथा गेहूँ पर ₹ 500 प्रति क्विंटल अनुदान देय।

8. प्रमाणित बीज वितरण (खरीफ) :– सोयाबीन, मक्का, मूँग, अरहर तथा उड़द बीज वितरण पर लागत का 50ः अधिकतम ₹ 1200, धान बीज पर लागत का 50ः या ₹ 500/–।

9. प्रमाणित बीज वितरण (रबी) :– चना, मसूर, अलसी, सरसों के बीज वितरण पर लागत का 50ः अधिकतम ₹ 1200 तथा गेहूँ के बीज वितरण पर लागत का 50ः या ₹ 500 क्विंटल अनुदान देय।

10. संकर बीज वितरण (खरीफ) मक्का, धान, ज्वार तथा बाजरा बीज वितरण पर लागत का 50ः अधिकतम ₹ 2000 प्रति क्विंटल अनुदान राशि देय।

11. बीजोपचार :– बीजोपचार जैविक ट्राईकोडमी/रासायनिक निर्धारित मूल्य का 75ः अधिकतम 100₹ प्रति हेक्टेयर।

12. पौध संरक्षण :– (क) जैविक कीटनाशक :– कीमत का 50ः अधिकतम ₹ 500 प्रति हेक्टेयर।

(ख) एन.पी.व्ही. :– कीमत का 50ः अधिकतम ₹ 250 प्रति हेक्टेयर।

(ग) प्रकाश प्रपंच :– कीमत का 50ः अधिकतम ₹ 1500 प्रति हेक्टेयर।

(घ) फेरोमेन ट्रेप :– कीमत का 50ः अधिकतम ₹300 प्रति हेक्टेयर।

13. पोषक तत्व प्रबंधन :– पी.एस.बी./रायजोबियम कल्चर/एजेटोबेक्टर आदि निर्धारित मूल्य का 50ः अधिकतम ₹ 100 प्रति हेक्टेयर।

14. प्रदर्शन :– (क) वृहद प्रदर्शन (10हेक्टेयर पर ₹ 25000प्रति प्रदर्शन)।

(ख) एस.आर.आई./संकर धान (0.04 हेक्टेयर) 50ःया अधिकतम ₹ 3000 प्रति प्रदर्शन।

(ग) अंतरवर्तीय फसल पर 50ःया अधिकतम ₹ 500 प्रति प्रदर्शन पर देय।

15. जैविक खेती :– (क) नार्डपटांका :– अधिकतम ₹ 2000 प्रत्येक टांका पर देय।

16. यंत्रीकरण :–

(क) शक्ति चलित उपकरण/यंत्र :– सभी प्रकार के यंत्रों पर 50ः अथवा अधिकतम ₹ 15000/–

(ख) बैल चलित उपकरणों पर :– प्रत्येक उपकरण पर 50ः अथवा अधिकतम ₹ 2500 अनुदान।

(ग) हस्तचलित उपकरण :– 50ः अथवा अधिकतम ₹ 500/–

(अ) एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (मोटा अनाज):– इसका उद्देश्य ज्वार, धान बाजरा, कोदो, कुटकी, गेहूँ, जौ फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना है। यह योजना दतिया जिला सहित सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में क्रियान्वित है। मुख्य तौर पर अनुसूचित जाति, जनजाति, सामान्य वर्ग के लघु–सीमांत कृषक इसके पात्र होंगे। साथ ही हितग्राहियों का चयन ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी, कृषि विकास अधिकारी आदि के द्वारा किया जाएगा।

– दिए जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण प्रजनक बीज की खरीदी :– बीज की कीमत का

शत–प्रतिशत अधिकतम ₹ 2000 प्रति क्विंटल जो भी कम हो।

– बीजोत्पादन पर सहायता

(अ) आहार बीज :– प्रजनक से आधार बीज उत्पादन पर ₹ 200 प्रति क्विंटल देय (बीजोत्पादक संस्था को)।

(ब) प्रमाणित बीज :– आधार बीज से प्रमाणित बीज उत्पादन पर ₹ 200 प्रति क्विंटल (कृषक के लिए रू. 150 तथा संस्था के लिए ₹ 50)।

प्रशिक्षण

(क) राज्य स्तरीय कार्यशाला के आयोजन के लिए अधिकतम ₹ 1,00,000 प्रति कार्यशाला।

(ख) विस्तार कार्यकर्ताओं की कार्यशाला के आयोजन के लिए अधिकतम ₹ 10,000 प्रति कार्यशाला।

(ग) कृषक प्रशिक्षण के लिए अधिकतम ₹ 5000 प्रति प्रशिक्षण (30 कृषकों हेतु)।

(घ) धान की मेडागास्कर पद्धति के प्रशिक्षण हेतु ₹ 5000 प्रति प्रशिक्षण (30 कृषकों हेतु)

सतत् गन्ना विकास योजना :– यह योजना गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने की योजना है। साथ ही गन्ने के उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार लाना है। इस योजना के लिए 27 जिले चुने गए हैं जिनमें भोपाल, सीहोर, राजगढ़, बैतूल, हरदा, मुरैना, श्योपुर, दतिया, रतलाम, सागर, टीकमगढ़, छतरपुर, सिवनी, देवास, इंदौर, धार, खरगौन, खण्डवा, बुरहानपुर, बड़वानी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद है।

इसमें सभी श्रेणी के कृषकों को प्राथमिकता व नियमानुसार हित लाभ मिलेगा। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और कृषि विकास अधिकारी द्वारा गन्ना उत्पादक कृषकों का चयन किया जाता है।

कृषक प्रशिक्षण

50 कृषकों के दो दिवसीय प्रशिक्षण पर 10,000 ₹ प्रति प्रशिक्षण का प्रावधान है।

कृषक भ्रमण

40 कृषकों के लिए 50ः अनुदान पर अधिकतम 50,000 ₹ प्रति कृषक भ्रमण।

इस योजना से लाभ पाकर अध्ययन क्षेत्र की भाण्डेर तहसील के चॉदनी ग्राम में दस बीघा पर गन्ने की खेती की शुरूआत हो चुकी है।

मिट्टी परीक्षण कार्यक्रम (STP)

सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य मिट्टी में पाये जाने वाले प्रमुख एवं सूक्ष्म तत्व जो उत्पादन को प्रभावित करते हैं, उनकी प्रयोगशालाओं में जॉच करके उपयुक्त अनुशंसायें कृषकों को प्रेषित की जाती हैं।

विशेष कार्यक्रम

सामान्य कृषकों के लिए 5 ₹ प्रति नमूना तथा अनु.जाति/जनजाति के कृषकों के लिए 3₹प्रति नमूना का प्रावधान है। प्रत्येक कृषक को इस कार्यक्रम के तहत मृदा स्वास्थ्य कार्ड भी उपलब्ध कराया जाता है। जिसमें कृषक द्वारा मिट्टी परीक्षण हेतु प्रस्तुत नमूनों के विश्लेषण की जानकारी उपलब्ध रहती है। प्रदेश में कुल 70 प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं, जिनमें 24 केन्द्र विभागीय मिट्टी परीक्षण, 26 केन्द्र म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड (दतिया जिला भी सम्मिलित), 19 केन्द्र कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थित हैं।

राष्ट्र कृषि बीमा योजना

यह योजना दतिया जिला सहित सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में क्रियान्वित है।

अधिसूचित फसलें :– खरीफ –धान (सिंचित/असिंचित), ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो, कुटकी, तिल, मूँगफली, सोयाबीन, अरहर, कपास और केला।

रबी :– गेहूँ (सिंचित/असिंचित) चना, राई, सरसों, अलसी, प्याज एवं आलू।

बीमा हेतु पात्र

इसमें संस्थागत ऋण लेने वाले कृषकों के लिए अनिवार्य तथा अऋणी कृषकों के लिए स्वैच्छिक हैं।

दावा आकलन की इकाई :– वर्ष खरीफ 2006 से चुनी गई प्रमुख चार फसलें धान सिंचित, धान असिंचित, सोयाबीन एवं तुअर। खरीफ वर्ष 2007 से बाजरा, मक्का फसल भी शामिल की गई हैं, जिसका निर्धारण इकाई पटवारी हल्का की गई है।

शेष फसलों जैसे कोदो, कुटकी, तिल, ज्वार, मूँगफली, कपास और केला के लिए निर्धारित इकाई तहसील को रखा गया है।

वर्ष रबी 2006–07 से चुनी गई चार प्रमुख फसलें गेहूँ सिंचित, गेहूँ असिंचित, चना एवं राई/सरसों निर्धारित इकाई पटवारी हल्का की गई हैं शेष फसलें जैसे–अलसी, प्याज एवं आलू के लिए तहसील इकाई ही यथावत है।

जिला सिंचाई कार्यक्रम (District Irrigation Programme)

फसलोत्पादन में लगने वाले आदानों में से जल महत्वपूर्ण घटक हैं। इसकी पूर्ति और वितरण समयानुसार नहीं किया गया, तो उपज और गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मिट्टी के गुणों और फसल को विभिन्न अवस्थाओं में नमी की आवश्यकतानुसार सिंचाई करना चाहिए। यह बात मिट्टी की बनावट एवं किस्म पर निर्भर करती है कि मिट्टी को कितनी गहराई तक तर करने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से एक फीट तक गीला करने के लिए रेतीली मिट्टी को 0.5, रेतीली दोमट 1.0, दोमट के लिए 2.0, चिकनी दोमट के लिए 2.5 और चिकनी मिट्टी के लिए 3.0 एकड़ इंच पानी की आवश्यकता होती है। पानी की आवश्यकता फसल को तब होती है, जब वह मिट्टी में से 2/3 इंच पानी सोख लेती है। सिंचाई की सुविधा जिस क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में स्थापित होती है, वहाँ अपेक्षाकृत उत्पादन अधिक मात्रा में होता है तथा जिन क्षेत्रों या भागों में सिंचाई सुविधा पर्याप्त उपलब्ध नहीं हो पाती, वह क्षेत्र कृषि में पिछड़ा रहता है। पूर्व में अध्ययन क्षेत्र में सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तब उत्पादन कम होता था, लेकिन सरकार द्वारा सिंचाई के लिए कई योजनाएँ चलाई गयीं, जिसमें भाण्डेर नहर परियोजना, राजघाट नहर परियोजना प्रमुख हैं। इन परियोजनाओं के अलावा इनमें कई वितरिकाएँ निकाली गयीं हैं जिनके

द्वारा जिला में सिंचाई की व्यवस्था की गई है और कृषि उत्पादन को बढ़ाने का सफल प्रयास किया गया। अध्ययन क्षेत्र में कई छोटे तालाब, कुँए आदि सिंचाई के लिये पर्याप्त नहीं हैं। जिले में कुछ सिंचाई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जो निम्न प्राकर हैं :–

नलकूल खनन (लघु सिंचाई) :– यह योजना सम्पूर्ण मध्यप्रदेश सहित दतिया जिला में भी क्रियान्वित है। यह केन्द्र पोषित योजना है। इसमें अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों के लिए सफल/असफल नलकूप खनन पर खनन की लागत का 75% अधिकतम 15,000₹ जो भी कम हो, अनुदाय देय है। सफल नलकूप पर पम्प स्थापना हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों के लिए लागत का 75% अधिकतम 9,000₹ जो भी कम हो, अनुदान देय होगा।

बलराम ताल योजना

संपूर्ण मध्यप्रदेश सहित अध्ययन क्षेत्र में यह योजना चलाई जा रही है। कृषि के समग्र विकास के लिए सतही तथा भूमिगत जल की उपलब्धता को समृद्ध करना, इस योजना का उद्देश्य हैं यह योजना समस्त वर्ग के कृषकों के लिए क्रियान्वित की गई हैं। बलराम ताल की स्वीकृति जिले के उपसंचालक कृषि तथा प्रशासनिक स्वीकृति जिला पंचायत द्वारा प्रदान की जाती है तथा ताल निर्माण के लिये 'प्रथम आयें प्रथम पायें' के आधार पर अनुदान का प्रावधान एवं पात्रता है। सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के कृषकों को लागत का 40: या अधिकतम 80,000 ₹ अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को लागत का 75: या अधिकतम 1,00,000 ₹ राशि बतौर अनुदान बलराम ताल निर्माण के लिए प्रदान की जाती है। यह योजना फसलों के लिए सिंचाई के प्रमुख साधन का कार्य करती है। कृषकों द्वारा इस योजना से लाभ उठाकर अपने कृषि उत्पादन में वृद्धि की जा रही है। इस योजना से लाभ पाकर भाण्डेर विकासखण्ड के चाँदनी ग्राम में दस बीघा क्षेत्र पर गन्ना की कृषि मुख्यतौर पर (विशेषत:) की जा रही है। इस योजना में तालाब का निर्माण कर वर्षा जल एकत्रित कर फसलों को सूखा से बचाना एवं भूमिगत जल स्तर में वृद्धि करना है। इसके लिए वर्ष 2011–12 में अध्ययन क्षेत्र में 10,00,000 ₹ का प्रस्ताव रखा गया हैं, परन्तु दतिया जिले में कमाण्ड एरिया बढ़ने से मिट्टी पथरीली और रेतीली होने से बलराम ताल निर्माण की संभावना कम है।

चेक डेम निर्माण

अध्ययन क्षेत्र में कई क्षेत्रों में छोटे–छोटे बाँध (चेक डेम) का भी निर्माण किया गया है, जो संबंधित व नजदीक के ग्रामों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। इनमें से प्रमुख अखरेवा माइनर (चरोखरा) राजघाट नहर बाँध (धरमपुरा), रमदेवा माइनर (छिकाऊ), साहपुर स्टॉक डेम (भाण्डेर अभी निर्माणाधीन) आदि हैं। इसके अतिरिक्त हंसापुर में (भाण्डेर विकासखण्ड का ग्राम) राजघाट नहर पर हंसापुर बाँध बना हुआ है। वर्षा ऋतु में इस बाँध से सिंचाई की जाती है शेष ऋतु में इस बाँध में कृषक खेती करते हैं तथा नहर से सिंचाई सुविधा को लेते हैं। इस बाँध से आसपास के करीब 10–12 ग्राम लाभान्वित हो रहे है।

राजघाट नहर परियोजना मध्यप्रदेश एवं उत्तरदेश की संयुक्त परियोजना है। मध्यप्रदेश में इसकी विभिन्न नहर प्रणालियों से वर्ष 2008–09 के लिए 121450 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है।

भाण्डेर नहर प्रणाली से जो परीछा बाँध की बेतवा नहर से संचालित है, जिला में सिंचाई के प्रमुख साधन के रूप में ग्रामों को लाभान्वित करा रही है।

अंगूरी बैराज

अंगूरी बैराज पहूज नदी की सहायक अंगूरी नदी पर बनाया गया है। इस बैराज का जल ग्रहण क्षेत्र 162 वर्ग कि.मी. है। इस बैराज से दतिया नहर में स्थित सीतासागर को जोड़ा गया है, जिससे इसमें पानी लाया जाता है तथा फिल्टर में से जाकर नगर आपूर्ति की जाती है। इस प्रकार बैराज के जल का उपयोग घरेलू तथा कृषि में सर्वाधिक किया जाता है।

भूटान बैराज

दतिया वाहक नहर से प्राप्त जल को अंगूरी नाले में बैराज से छ: कि.मी., दूर पूरव में छोड़ा गया है। बैराज से निकली दतिया सिंचाई नहर 62.13 कि.मी. लम्बी है। इस पर 16.05 कि.मी. पर नहर का जल भूटान नाला पर स्थित भूटान बैराज में छोड़ा जाता है, इस बैराज से आगे दतिया वाहक नहर आगे जाती है।

जिला योजना वर्ष 2009–10

जिला दतिया के अंतर्गत सभी 29 तालाबों के जीर्णोद्धार कार्यो हेतु जिला योजना वर्ष 2009–10 के लिए 210.00 लाख ₹ की राशि से तालाबों के जीर्णोद्धार कार्य प्रस्तावित किए गए थे एवं राज्य योजना मण्डल द्वारा भी 200.00 लाख ₹ की राशि मान्य की गई, लेकिन आवंटन उपलब्ध नहीं होने के कारण कोई भी जीर्णोद्धार के कार्य नहीं कराए जा सकें।

जिला योजना वर्ष 2010–11

दतिया के अंतर्गत सभी 29 तालाबों के जीर्णोद्धार कार्यो हेतु वर्ष 2010–11 में राज्य योजना मण्डल द्वारा 250.00 लाख ₹ की राशि मान्य की गई।

जिला योजना वर्ष 2011–12

जिला दतिया के अंतर्गत दतिया विकासखण्ड में पाँच तालाब एवं सेंवढ़ा विकासखण्ड में एक तालाब कुल छ: लघु सिंचाई तालाबों के निर्माण हेतु राशि 3144.00 लाख ₹ एवं इन्हीं छ: लघु सिंचाई तालाबों के अन्वेषण कार्य हेतु 25.00 लाख ₹ राशि के कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। लघु सिंचाई तालाबों के निर्माण के उपरांत दतिया जिला में (शिवपुरी जिले के) शामिल किए गए 35 ग्राम क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

दतिया जिला में प्रस्तावित लघु सिंचाई योजनाएँ निम्नानुसार है :–

गोपालपुरा तालाब लघु सिंचाई योजना :– गोपालपुरा तालाब लघु सिंचाई योजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा राशि 25.93 लाख की प्रदान की गई है। योजना की निविदा स्वीकृत की जाकर ठेकेदार द्वारा अनुबंध किया जाकर

कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इस योजना के डूब क्षेत्र में आने वाले ग्राम क्रमशः भागौर एवं खमेरा की भूमि के अर्जन हेतु कलेक्टर जिला दतिया द्वारा दिनांक 15/09/11 को धारा–6 की अधिसूचना जारी गई है।

योजना के पूर्ण होने पर क्रमशः ग्राम गोपालपुरा, खमैरा एवं भागौर की 130 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है।

कासला नाला लघु सिंचाई योजना :– कासला नाला लघु सिंचाई योजना के लिए 1602.72 लाख ₹ राशि स्वीकृत हुई है। इस लघु सिंचाई योजना के डूब क्षेत्र में आने वाले दतिया जिले के ग्राम सुमावली, सनौरा एवं राजपुर की भूमि के अर्जन हेतु कलेक्टर जिला दतिया द्वारा दिनांक 15.09.11 को धारा–6 की अधिसूचना जारी की गई है। योजना के पूर्ण होने पर 7 ग्रामों क्रमशः राजपुर रिया, बरौदी, नौनेर, जिगना, मड़गवां, कमेड़ी एवं बिलोनी की लगभग 850 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई प्रस्तावित है।

कुलैथ वियर योजना :– यह योजना दतिया जिला की सेंवढ़ा तहसील में प्रस्तावित है, योजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र.शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा राशि 199.31 लाख ₹ प्रदाय की गई है। योजना का निर्माण पूर्ण होने पर ग्राम कुलैथ, खेरोनाघाट एवं सिलेटा की 275 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई प्रस्तावित है।

घूघसी वियर योजना :– जिले के ग्राम घूघसी में महुअर नदी पर प्रस्तावित घूघसी वियर के निर्माण हेतु म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग द्वारा राशि 204.92 लाख प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना के पूर्ण होने पर ग्राम घूघसी एवं लखनपुर की 230 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है।

डंगरा वियर योजना :– जिले के ग्राम डंगरा में सिंध नदी पर वियर निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृति हेतु शासन को प्रस्तुत किया गया है। योजना के निर्माण से तीन ग्रामों क्रमशः डंगरा, सिद्धपुरा एवं अजीतपुरा की 350 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है।

निष्कर्ष एवं सुझाव

निष्कर्षतः स्पष्ट है कि जिला भले ही पिछड़े क्षेत्र की सूची में है परन्तु उपयुर्क्त वर्णनानुसार अब सरकार द्वारा यहाँ कई कार्यक्रम व योजनाएं संचालित की जा चुकी है और आगे भी विचाराधीन है जिनसे कृषक निश्चित तौर पर लाभ उठाकर अपनी उत्पादकता में वृद्धि कर रहे है। जिले में अब सिंचाई सुविधाओं का भी निरंतर विकास किया जा रहा है ताकि समय–असमय वर्षा की अनिश्चितता का दुष्परिणाम कृषकों को हानि न पहुँचा पाए। फसल बीमा योजना से लेकर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना तथा जिला सिंचाई कार्यक्रम के अंतर्गत सभी योजना कारगर व सफल सिद्ध हो रही है। कृषक निरंतर नए–नए प्रयोग भी अपना रहे हैं आगे की यह योजना उत्पादन वृद्धि में सफल रहेंगी। कुछ सुझाव इस प्रकार हैं–

1. कृषि को वैज्ञानिक व उच्च तकनीकी से अपनाए जाने पर बल तथा कृषि को औद्योगिक स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए।
2. उन्नत किस्म के बीजों का कृषकों तक सस्ते मूल्य पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।
3. कृषकों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने, कृषि में मशीनीकरण को बढ़ाने तथा कृषि में औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए विद्युतीकरण को बढ़ावा देना।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. Books : सांख्यिकी पुस्तिका (2007–2012), जिला दतिया।
2. Govt. Resources : राजस्व निरीक्षक द्वारा प्राप्त जानकारी एवं अधीक्षक भू–अभिलेख कार्यालय दतिया से प्राप्त जानकारी पर आधारित।
3. Govt. Resources : अधीक्षक, भू.अभिलेख दतिया एवं राजस्व निरीक्षक सेंवढ़ा एवं दतिया तहसील।
4. Books : तिवारी आर.सी. एवं सिंह बी.एन. (2007), 'कृषि भूगोल' प्रयाग पुस्तक भवन इलाहाबाद।
5. M.R.P. : डॉ.सिसौदिया एम.एस.(2008–10), 'लघु शोध परियोजना, जल संसाधन दतिया जिला में उपलब्धता, सम्भाव्य, उपयोग एवं संरक्षण'।
6. Books : किसानों को दी जाने वाली सुविधाएं (2012), किसान कल्याण तथा कृषि विकास, जिला दतिया।